न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास अलवर (राज0)

अध्याशाषित :– श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

दावा सं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
82/22	25.02.22	04.05.22

उनवान

1. शैलजैन पत्नी स्व0 श्री एस0के0 जैन जाति महाजन निवासी बी0 1/12 बसन्त विहार मलाई मंदिर के सामने नई दिल्ली।

:–वादी

बनाम

1. अलीमोहम्मद
2. आसमौहम्मद
3. इदरीश मोहम्मद
4. याकूब खान
5. मौहम्मद इरसाद
6. जुनैद खान पुत्रान फजरू खॉ
7. आसिया
8. ताहिरा
9. फातिमा
10. मरियम पुत्रीयान फजरू खॉ
11. सुबानी पत्नी फजरू खॉ
12. उमरदीन
13. खुशीमोहम्मद पुत्राान काला पुत्र छोटा
14. डमरदीन पुत्र सूका
15. सूका पुत्र मथूरा
16. हकमूदीन पुत्र भूरा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

17.रशीद

18.रुकमुद्दीन पुत्रान सुरदान पुत्र छोटा जाति मेव निवासी बेडा का बास तहसील किशनगढबास जिला अलवर ।

19.राज. सरकार जरिये तौफ्ड होल्डर, तहसीलदार, किशनगढबास जिला अलवर।

;—अपल प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थितिः—1. वादी की ओर से श्री खुर्शीद अहमद।

प्रतिवादीगण की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

दावे मे सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः—

वकील वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा संख्या हाल 1194 रकबा 0.72है0 मे 1/3 भाग, 1364 रकबा 1.7200है0 मे से 619/1224 भाग वाके ग्राम बेडा का बास तहसील किशनगढबास जिला अलवर मे स्थित है जो प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलावेगी।

प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 18 आये दिन मिन वादी के सामलाती रिकोर्डेड कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करते रहते है ऐसी सूरत में अब मिन वादी का प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 18 के साथ सामलात में काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करना संभव नही रहा है ।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

दिनांक 2.2.22 को जब वादी ने असल प्रतिवादीगण से तकासमा आराजी कराने के लिये कहा तो असल प्रतिवादीगण ने तकासमा कराने से साफ मना कर दिया इसलिए मिन वादी आराजी का तकासमा बाई मिटस एण्ड बाउन्स कराकर अलग से कुरेजात कायम कराने व अलग से लगान खाता कायम कराने व अलग से दखल प्राप्त करने का अधिकारी है । जिसके लिए दावा तकासमा करना लाजिम आया है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया बावजूद इसके उपस्थित नही हुए। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई वकील वादी को सुना जाकर उक्त वाद दिनांक 25.04.22 को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार किशनगढबास से कुर्रे कायम कराये जाकर कुर्रे कायमी रिपोर्ट तलब की गई ।

तहसीलदार किशनगढबास ने अपने पत्र क0 2022/421 दिनांक 04.05.22 से कुर्रे कायमी रिपोर्ट न्यायालय हाजा को भिजवाई । कुर्रे कायमी रिपोर्ट आने पर शामिल पत्रावली की जाकर वकील वादी की बहस सुनी गई। हमने वकील वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया ।

तहसीलदार किशनगढबास द्वारा भिजवाई गई कुर्रे कायमी रिपोर्ट अनुसार वाद वादी बाबत तकासमा आराजी फाईनल डिक्री किया जाना कानून संगत व न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि :–

वाद वादीगण मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट के डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वादी के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काश्त खातेदारी में रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर

क्र0सं0	नाम खातेदार	ख0नं0 रकबा	किस्म	लगान
1.	शैल जैन पत्नि एस.के.जैन जाति जैन निवासी बी.1/12 बसन्त विहार मलाई मंदिर के सामने नई दिल्ली खातेदार	1194/1/0.24	बारानीA	2.0867
2.	अली मोहम्मद, आसमोहम्मद, इदरीसमोहम्मद, जुनैद, मोहम्मद ईरसाद, याकूब पुत्रान व आसिया, ताहिरा, फातिमा, मरियम पुत्रीया व सुबानी पत्नि फजरू खां हि0 1/4 काला पुत्र छोटा हि0 1/4 रूजदार पुत्र मुंशी हि0 1/4 जाति मेव सा0 देह खातेदार सुस्सन पुत्र छोटा हिस्सा 1/4 मेव सा.देह खातेदार	1194/2/0.48	बारानीA	4.1733
3.	शैल जैन पत्नि एस.के.जैन जाति जैन निवासी बी.1/12 बसन्त विहार मलाई मंदिर के सामने बसन्त विहार साउथ वेस्ट नई दिल्ली खातेदार	1364/1/0.60 1364/2/0.2700	बारानीA बारानीA	3.79 1.706
4.	उमरदीन पुत्र सूका हि0 2241/4250 सूका पुत्र मथुरा हि0 1159/4250 हकमूदीन पुत्र भूरा हि0 1/5 राहिन हिस्सा 1/5 pnb खानपुर मेवान जाति मेव सा0देह खातेदार	1364/3/0.85	बारानीA	5.373

तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड में खाते व लगान पृथक पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगें। प्रस्तावित नक्शा डिक्री का जुज रहेगा। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ओमप्रकाश सहारण

उपखण्ड अधिकारी

किशनगढबास(अलवर)